भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 674

सोमवार, 26 नवम्बर, 2012/5 अग्रहायण, 1934 (शक)

अप्रचालित ई.पी.एफ. खाता

674. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) में जमा धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारियों/मजदूरों के बहुत से खातों में कई वर्षों से लेन-देन नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और उक्त जमा राशि का उसके सही दावेदारों को भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या ई.पी.एफ. खातों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य काफी समय से लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) में पड़ी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

(ख) और (ग): संगठन के वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखे (अपरीक्षित) के अनुसार 22,636.57 करोड़ रुपये निष्क्रिय खातों में पड़े हैं।

प्रतिष्ठानों से विवरणियां एकत्र की जा रही हैं जिसमें योगदान प्राप्त किए जाते हैं ताकि सदस्यों के खातों को अद्यतन किया जा सके और उन्हें प्रचालित किया जा सके।

भविष्य निधि सदस्यों से दावे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ताकि ऐसे निष्क्रिय खातों के दावों को निपटाया जा सके:

(i) प्रिंट मीडिया तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार करना ताकि सदस्यों को निपटान के लिए उनके दावे दायर करने हेतु शिक्षित किया जा सके।

(ii) नियोक्ता एवं कर्मचारी संघों से अनुरोध किया गया है कि वे सदस्यों को निपटान के लिए उनके दावे दायर करने का परामर्श दें।

वास्तविक दावेदार को भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सावधानियां बरती गई हैं:

(i) जहां प्रतिष्ठान प्रचालन में हो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दावा फार्मों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है ।

(ii) उन मामलों में जहां नियोक्ता उपलब्ध नहीं है सदस्य की पहचान करना और बैंक के केवाईसी (अपने उपभोक्ता को जानें) के अंतर्गत कम से कम एक दस्तावेज के साथ-साथ बैंक प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन पर जोर दिया गया है।

(घ) एवं (ङ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कम्प्यूटरीकरण परियोजना का मौजूदा चरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के साथ सहयोग से 2008 में प्रारम्भ किया गया था तथा सभी कार्यालयों में इसे कार्यान्वित किया गया है। दावा निपटान तथा वार्षिक लेखा तैयार करने जैसी आधारभूत सेवाएं कम्प्यूटर पद्धति में की जाती हैं।

****

अनुबंध

अप्रचालित ई.पी.एफ. खातों से संबंधित श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा 26.11.2012 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 674 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31.03.2012 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि में पड़ी राज्य-वार निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	कर्मचारी भविष्य निधि में प्राप्त अंशदान
1	आंध्र प्रदेश	16,617.69
2	बिहार	1,524.37
3	छतीसगढ़	1,369.61
4	दिल्ली	16,755.42
5	गोवा	1,449.88
6	गुजरात	12,765.99
7	हरियाणा	9,607.89
8	हिमाचल प्रदेश	1,455.23
9	झारखंड	1,626.98
10	कर्नाटक	26,602.91
11	केरल	5,354.69
12	मध्य प्रदेश	5,692.99
13	महाराष्ट्र	54,279.85
14	पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,640.33
15	ओडिशा	3,590.76
16	पंजाब	8,865.30
17	राजस्थान	5,174.17
18	तमिलनाडु	21,935.93
19	उत्तराखंड	1,784.69
20	उत्तर प्रदेश	10,408.83
21	पश्चिम बंगाल	11,795.48
	कुल	**2,20,298.97**

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 487.

सोमवार, 26 नवम्बर, 2012/5 अग्रहायण, 1934 (शक)

ईपीएफ में एफडीआई

487. श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वर्ष 2012-13 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर बढ़ाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने के निर्णय को कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ईपीएफ में एफडीआई की अनुमति देने के परिणामस्वरूप क्या प्रभाव रहे हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अभी तक वर्ष 2012-13 के लिए ब्याज दर की घोषणा का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख): ऊपर भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का न्यासी बोर्ड संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक निकाय है और कोई कंपनी नहीं है। एफडीआई सहित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में वस्तुत: निवेश का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 574

सोमवार, 26 नवम्बर, 2012/5 अग्रहायण, 1934 (शक)

यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाना

574. श्री बिभू प्रसाद तराई:
श्री एंटो एंटोनी:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री हरिभाऊ जावले:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) स्कीम के अंतर्गत पेंशन बढ़ाने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) से (घ): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढाकर 1000/- रुपये करने का केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की उप-समिति पेंशन क्रियान्वयन समिति (पीआईसी) का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 663

सोमवार, 26 नवम्बर, 2012/5 अग्रहायण, 1934 (शक)

ईपीएफ विवरणी

663. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों को भविष्य निधि खाते की विवरणी उपलब्ध नहीं करायी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रत्येक कर्मचारी को ईपीएफ खाते की विवरणी और इसके मासिक अद्यतन जैसे बैंक की पास बुक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रणाली को कब तक मूर्त रूप दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल किए गए निजी क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के कर्मचारियों को वार्षिक खाता विवरणी उपलब्ध कराता है।

(ख) से (घ): अप्रैल, 2012 से, नियोजकों के लिए लेखा वर्ष 2010-11 से आगे अपने कर्मचारियों के लिए वार्षिक खाता पर्चियां डाउनलोड करने की सुविधा है।

जब कभी अंशदान प्राप्त होता है सदस्य के भविष्य निधि खाते अद्यतन किए जाते हैं तथा अगस्त, 2012 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर अद्यतन खाता विवरणी उपलब्ध है। सदस्य कहीं भी कभी भी अपने खाते देख सकते हैं तथा उनका प्रिंट ले सकते हैं।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 674

सोमवार, 26 नवम्बर, 2012/5 अग्रहायण, 1934 (शक)

अप्रचालित ई.पी.एफ. खाता

674. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) में जमा धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारियों/मजदूरों के बहुत से खातों में कई वर्षों से लेन-देन नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और उक्त जमा राशि का उसके सही दावेदारों को भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या ई.पी.एफ. खातों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य काफी समय से लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) में पड़ी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

(ख) और (ग): संगठन के वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखे (अपरीक्षित) के अनुसार 22,636.57 करोड़ रुपये निष्क्रिय खातों में पड़े हैं।

प्रतिष्ठानों से विवरणियां एकत्र की जा रही हैं जिसमें योगदान प्राप्त किए जाते हैं ताकि सदस्यों के खातों को अद्यतन किया जा सके और उन्हें प्रचालित किया जा सके।

भविष्य निधि सदस्यों से दावे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ताकि ऐसे निष्क्रिय खातों के दावों को निपटाया जा सके:

(i) प्रिंट मीडिया तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार करना ताकि सदस्यों को निपटान के लिए उनके दावे दायर करने हेतु शिक्षित किया जा सके।

(ii) नियोक्ता एवं कर्मचारी संघों से अनुरोध किया गया है कि वे सदस्यों को निपटान के लिए उनके दावे दायर करने का परामर्श दें।

वास्तविक दावेदार को भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सावधानियां बरती गई हैं:

(i) जहां प्रतिष्ठान प्रचालन में हो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दावा फार्मों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है ।

(ii) उन मामलों में जहां नियोक्ता उपलब्ध नहीं है सदस्य की पहचान करना और बैंक के केवाईसी (अपने उपभोक्ता को जानें) के अंतर्गत कम से कम एक दस्तावेज के साथ-साथ बैंक प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन पर जोर दिया गया है।

(घ) एवं (ङ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कम्प्यूटरीकरण परियोजना का मौजूदा चरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के साथ सहयोग से 2008 में प्रारम्भ किया गया था तथा सभी कार्यालयों में इसे कार्यान्वित किया गया है। दावा निपटान तथा वार्षिक लेखा तैयार करने जैसी आधारभूत सेवाएं कम्प्यूटर पद्धति में की जाती हैं।

****

अनुबंध

अप्रचालित ई.पी.एफ. खातों से संबंधित श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा 26.11.2012 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 674 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31.03.2012 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि में पड़ी राज्य-वार निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	कर्मचारी भविष्य निधि में प्राप्त अंशदान
1	आंध्र प्रदेश	16,617.69
2	बिहार	1,524.37
3	छतीसगढ़	1,369.61
4	दिल्ली	16,755.42
5	गोवा	1,449.88
6	गुजरात	12,765.99
7	हरियाणा	9,607.89
8	हिमाचल प्रदेश	1,455.23
9	झारखंड	1,626.98
10	कर्नाटक	26,602.91
11	केरल	5,354.69
12	मध्य प्रदेश	5,692.99
13	महाराष्ट्र	54,279.85
14	पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,640.33
15	ओडिशा	3,590.76
16	पंजाब	8,865.30
17	राजस्थान	5,174.17
18	तमिलनाडु	21,935.93
19	उत्तराखंड	1,784.69
20	उत्तर प्रदेश	10,408.83
21	पश्चिम बंगाल	11,795.48
	कुल	**2,20,298.97**

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1423

सोमवार, 3 दिसम्बर, 2012/12 अग्रहायण, 1934 (शक)

ई पी एफ के अन्तर्गत ठेकेदार

1423. श्री जी. एम. सिद्देश्वर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) सरकारी ठेकेदारों को भविष्य निधि दायरे के अन्तर्गत लाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई पी एफ ओ सांविधिक बचतों को अधिशासित करने वाले कानून में प्रमुख संशोधन करने पर भी विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952, 20 अथवा अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान की ऐसी श्रेणियों पर लागू होता है जिन्हें भारत सरकार द्वारा धारा 1(3) (ख) के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित किया गया हो।

उपर्युक्त उपबंधों के दृष्टिगत, पात्र मामलों में यह अधिनियम सरकारी प्रतिष्ठान में लगे ठेकेदारों पर भी लागू होगा।

(ग) और (घ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 में संशोधन करने संबंधी मामला विचाराधीन है।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1488

सोमवार, 3 दिसम्बर, 2012/12 अग्रहायण, 1934 (शक)

ईपीएफ पर ब्याज

1488. डॉ मन्दा जगन्नाथ:

श्री के. पी. धनपालन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदानों पर लगभग 8.6 प्रतिशत ब्याज देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) से (ग): वर्ष 2012-13 के लिए ब्याज की दर की घोषणा हेतु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1608

सोमवार, 3 दिसम्बर, 2012/12 अग्रहायण, 1934 (शक)

ई.पी.एफ. निपटान के लंबित मामले

1608. श्री ए.साई प्रताप:

श्री ताराचन्द भगोरा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य निधि के कई मामलों का निपटान किया जाना बाकी है तथा इनके निपटान में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने मामले निपटान के लिए लंबित हैं तथा इनके निपटान में क्या बाधाएं आ रही हैं;

(घ) क्या सरकार ने कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे लंबित दावों के जल्द निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा इसका क्या परिणाम निकला है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) से (ग): 27.11.2012 (वर्ष 2012-13 के दौरान 01.04.2012 से 27.11.2012 तक) की स्थिति के अनुसार, निपटान हेतु प्राप्त हुए 100.22 लाख दावों में से, कुल 6.13 लाख दावे निपटान हेतु लंबित हैं।

लंबित मामलों के निपटान में पेश आई समस्याएं निम्नानुसार हैं:-

(i) अधूरे दावे (कोई बैंक खाता संख्या नहीं, अधूरा रोजगार (ब्यौरा)
(ii) गलत दावे (गलत भविष्य निधि खाता संख्या)
(iii) अनधिप्रमाणित दावे
(iv) अहस्ताक्षरित दावे
(v) धन प्रेषण के लिहाज से नियोक्ता द्वारा चूक।

उपर्युक्त के अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(7) में निहित उपबंधों के अनुसार, सही पाए गए सभी दावों को 30 दिनों के भीतर निपटाया जाना होता है। अतः, किसी दिए गए समय पर, ताजा प्राप्ति 30 दिन तक लंबित हो सकती है। वस्तुतः, कुल प्राप्तियों में से, 8.33% दावे इस वजह से लंबित हो सकते हैं जो पिछले 30 दिनों में प्राप्त हुए हों। अतः किसी भी दिए गए समय पर, दावों का लंबन शून्य नहीं हो सकता। तथापि, जो दावे 30 दिन के दौरान लंबित हैं, वे निपटान के उसी अथवा उत्तरवर्ती चक्र में निपटा दिए जाते हैं।

(घ) और (ङ): दावे बिना किसी गलती के प्रस्तुत करने हेतु सम्मिलित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का मार्गदर्शन मुद्रित पुस्तिका, संगोष्ठी एवं नियोक्ताओं के प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाता है।

(च): हाल ही में, दावों के लंबन को कम करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए गए:

- नियोक्ताओं द्वारा विवरणी इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल करने हेतु इसीआर (इलैक्ट्रॉनिक चलान-सह-विवरणी) का प्रावधान किया गया है। इससे सदस्यों के खातों को मासिक आधार पर अद्यतन करने की प्रक्रिया को तेज करना सुकर हुआ है।
- दावों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनइएफटी) शुरु किया गया है।
- निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- निपटान के अनुमोदन के चरणों को 3 से कम करके 2 कर दिया गया है।
- निपटान की निगरानी प्रभारी आरपीएफसी तथा मुख्यालय द्वारा की जा रही है।
- सभी क्षेत्र कार्यालयों को लंबन की स्थिति की समीक्षा करने और दावों को 30 दिन के भीतर निपटाने के भरसक प्रयत्न करने का निदेश दिया गया है।

उपर्युक्त प्रयासों के चलते, लंबन अनुपात को सामान्य 8.33% की तुलना में कम करके 6.11% तक ला दिया गया है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1608

सोमवार, 3 दिसम्बर, 2012/12 अग्रहायण, 1934 (शक)

ई.पी.एफ. निपटान के लंबित मामले

1608. श्री ए.आई. प्रताप:

श्री ताराचन्द भगोरा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य निधि के कई मामलों का निपटान किया जाना बाकी है तथा इनके निपटान में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने मामले निपटान के लिए लंबित हैं तथा इनके निपटान में क्या बाधाएं आ रही हैं;

(घ) क्या सरकार ने कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे लंबित दावों के जल्द निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा इसका क्या परिणाम निकला है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) से (ग): 27.11.2012 (वर्ष 2012-13 के दौरान 01.04.2012 से 27.11.2012 तक) की स्थिति के अनुसार, निपटान हेतु प्राप्त हुए 100.22 लाख दावों में से, कुल 6.13 लाख दावे निपटान हेतु लंबित हैं।

लंबित मामलों के निपटान में पेश आई समस्याएं निम्नानुसार हैं:-

(i) अधूरे दावे (कोई बैंक खाता संख्या नहीं, अधूरा रोजगार (ब्यौरा)
(ii) गलत दावे (गलत भविष्य निधि खाता संख्या)
(iii) अनधिप्रमाणित दावे
(iv) अहस्ताक्षरित दावे
(v) धन प्रेषण के लिहाज से नियोक्ता द्वारा चूक।

उपर्युक्त के अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(7) में निहित उपबंधों के अनुसार, सही पाए गए सभी दावों को 30 दिनों के भीतर निपटाया जाना होता है। अतः, किसी दिए गए समय पर, ताजा प्राप्ति 30 दिन तक लंबित हो सकती है। वस्तुतः, कुल प्राप्तियों में से, 8.33% दावे इस वजह से लंबित हो सकते हैं जो पिछले 30 दिनों में प्राप्त हुए हों। अतः किसी भी दिए गए समय पर, दावों का लंबन शून्य नहीं हो सकता। तथापि, जो दावे 30 दिन के दौरान लंबित हैं, वे निपटान के उसी अथवा उत्तरवर्ती चक्र में निपटा दिए जाते हैं।

(घ) और (ङ): दावे बिना किसी गलती के प्रस्तुत करने हेतु सम्मिलित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का मार्गदर्शन मुद्रित पुस्तिका, संगोष्ठी एवं नियोक्ताओं के प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाता है।

(च): हाल ही में, दावों के लंबन को कम करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए गए:

- नियोक्ताओं द्वारा विवरणी इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल करने हेतु इसीआर (इलैक्ट्रॉनिक चलान-सह-विवरणी) का प्रावधान किया गया है। इससे सदस्यों के खातों को मासिक आधार पर अद्यतन करने की प्रक्रिया को तेज करना सुकर हुआ है।
- दावों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनइएफटी) शुरु किया गया है।
- निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- निपटान के अनुमोदन के चरणों को 3 से कम करके 2 कर दिया गया है।
- निपटान की निगरानी प्रभारी आरपीएफसी तथा मुख्यालय द्वारा की जा रही है।
- सभी क्षेत्र कार्यालयों को लंबन की स्थिति की समीक्षा करने और दावों को 30 दिन के भीतर निपटाने के भरसक प्रयत्न करने का निदेश दिया गया है।

उपर्युक्त प्रयासों के चलते, लंबन अनुपात को सामान्य 8.33% की तुलना में कम करके 6.11% तक ला दिया गया है।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2656

सोमवार, 10 दिसम्बर, 2012/19 अग्रहायण, 1934 (शक)

औद्योगिक कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा

2656. श्रीमती रमा देवी:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री जोसेफ टोप्पो:
श्रीमती कमला देवी पटले:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों, ईंट उद्योग और चाय बागानों में काम करने वाले कामगारों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे सभी कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) उपदान तथा पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना मुहैया कराने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): औद्योगिक प्रतिष्ठान, ईंट उद्योग तथा चाय बागानों में कार्य कर रहे कामगारों से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है।

(ख) से (घ): औद्योगिक प्रतिष्ठान, ईंट उद्योग तथा चाय बागान, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की अनुसूची-I में शामिल किए गए हैं और इसलिए ये इस अधिनियम के दायरे में आते हैं। भविष्य निधि, पेंशन तथा जमा सहबद्ध बीमा के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार उन सभी कामगारों तक किया गया है जो शामिल किए गए प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे हैं तथा सदस्यों के रूप में नामांकित हैं।

यद्यपि कर्मचारी राज्य बीमा योजना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू है, इसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के क्रियान्वयन वाले क्षेत्र में अवस्थित ईंट उद्योगों पर पहले ही विस्तारित कर दिया गया है। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 के लाभों का विस्तार चाय बागानों के बागान कामगारों तक करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 प्रत्येक कारखाने, खान, तेल क्षेत्र, बागान, पत्तन, रेलवे कम्पनी, दुकान अथवा अन्य प्रतिष्ठान जहां दस अथवा अधिक व्यक्ति नियोजित हों, के सभी कर्मचारियों पर लागू है और यह केन्द्र तथा राज्य सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं है जो किसी अन्य अधिनियम अथवा उपदान संदाय के लिए बनाए गए अन्य किसी नियम द्वारा शासित होते हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2713

सोमवार, 10 दिसम्बर, 2012/19 अग्रहायण, 1934 (शक)

होटलों पर ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. की बकाया राशि

2713. श्री नारायण सिंह अमलाबे:
श्री महाबल मिश्रा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश की बंद कपड़ा मिलों सहित दिल्ली के पांच सितारा होटलों पर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन चूककर्ताओं के विरुद्ध वर्ष-वार कितने मामले दर्ज और अभियोजन किए गए; और

(ग) इन होटलों और कपड़ा मिलों में कार्यरत प्रभावित कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): दिल्ली में किसी भी पांच सितारा होटल पर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के संबंध में कोई बकाया राशि नहीं है। तथापि, दिल्ली में पांच सितारा होटल पर कर्मचारी राज्य बीमा के संबंध में बकाया राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	बकाया राशि (रुपये लाख में)
1.	2009-10	13.87
2.	2010-11	13.87
3.	2011-12	13.87
4.	चालू वर्ष (नवम्बर, 2012 तक)	13.99

चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंध में बंद कपड़ा मिलों के विरुद्ध बकाया राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	बकाया राशि (रुपये लाख में)
1.	2009-10	1737.85
2.	2010-11	562.49
3.	2011-12	42.32
4.	चालू वर्ष (नवम्बर, 2012 तक)	27.12

चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के संबंध में बंद कपड़ा मिलों के विरुद्ध बकाया राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	राशि	अभ्युक्ति
1.	2009-10	437.14	1. छः इकाइयां बंद हैं तथा सरकारी परिसमापक के पास दावे प्रस्तुत किए गए हैं। 2. दो इकाइयां बीआईएफआर के अंतर्गत हैं और राज्य कपड़ा निगम इकाइयां हैं। 3. दो इकाइयां बंद हैं जो बीआईएफआर के अंतर्गत नहीं हैं। 4. चार इकाइयां बंद हैं तथा एनटीसी सीपीएसयू के अंतर्गत हैं। 5. तीन इकाइयां हैं जिनके लिए पुनर्वास योजना बीआईएफआर द्वारा संस्वीकृत की गई है। 6. दो इकाइयां बंद है तथा बीआईएफआर के अंतर्गत पंजीकृत हैं। कोई योजना संस्वीकृत नहीं हैं।
2.	2010-11	450.74	
3.	2011-12	462.50	
4.	चालू वर्ष (नवम्बर, 2012 तक)	470.67	

(ख): जहां तक बंद कपड़ा मिलों का संबंध है, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 30.11.2012 तक के दौरान मिलों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि देय राशियों की चूक हेतु कोई मामला पंजीकृत नहीं किया गया है और न ही अभियोजन शुरू किए गए हैं।

जहां तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम की देय राशियों का संबंध है, ईएसआईसी द्वारा दिल्ली में पांच सितारा होटलों के विरुद्ध कोई मामला पंजीकृत नहीं किया गया है और न ही अभियोजन शुरू किया गया है। तथापि, बंद कपड़ा मिलों के विरुद्ध पांच मामले पंजीकृत किए गए थे जिनमें से तीन मामले निर्णीत हो चुके हैं।

(ग): प्रतिष्ठानों के विरुद्ध देय राशियों की शीघ्र वसूली हेतु कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 की धारा 8-ख से 8-छ के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसमें चल और अचल संपत्ति की कुर्की, नियोक्ताओं की गिरफ्तारी आदि शामिल है। बंद चूककर्ता कपड़ा मिलों के कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की विशेष रिजर्व निधि में से किया जा रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शामिल किए गए कर्मचारी प्रदत्त अथवा संदेय अंशदान पर आधारित लाभों के हकदार हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2713

सोमवार, 10 दिसम्बर, 2012/19 अग्रहायण, 1934 (शक)

होटलों पर ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. की बकाया राशि

2713. श्री नारायण सिंह अमलाबे:
श्री महाबल मिश्रा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश की बंद कपड़ा मिलों सहित दिल्ली के पांच सितारा होटलों पर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन चूककर्ताओं के विरुद्ध वर्ष-वार कितने मामले दर्ज और अभियोजन किए गए; और

(ग) इन होटलों और कपड़ा मिलों में कार्यरत प्रभावित कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): दिल्ली में किसी भी पांच सितारा होटल पर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के संबंध में कोई बकाया राशि नहीं है। तथापि, दिल्ली में पांच सितारा होटल पर कर्मचारी राज्य बीमा के संबंध में बकाया राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	बकाया राशि (रुपये लाख में)
1.	2009-10	13.87
2.	2010-11	13.87
3.	2011-12	13.87
4.	चालू वर्ष (नवम्बर, 2012 तक)	13.99

चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंध में बंद कपड़ा मिलों के विरुद्ध बकाया राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	बकाया राशि (रुपये लाख में)
1.	2009-10	1737.85
2.	2010-11	562.49
3.	2011-12	42.32
4.	चालू वर्ष (नवम्बर, 2012 तक)	27.12

चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के संबंध में बंद कपड़ा मिलों के विरुद्ध बकाया राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	राशि	अभ्युक्ति
1.	2009-10	437.14	1. छः इकाइयां बंद हैं तथा सरकारी परिसमापक के पास दावे प्रस्तुत किए गए हैं। 2. दो इकाइयां बीआईएफआर के अंतर्गत हैं और राज्य कपड़ा निगम इकाइयां हैं। 3. दो इकाइयां बंद हैं जो बीआईएफआर के अंतर्गत नहीं हैं। 4. चार इकाइयां बंद हैं तथा एनटीसी सीपीएसयू के अंतर्गत हैं। 5. तीन इकाइयां हैं जिनके लिए पुनर्वास योजना बीआईएफआर द्वारा संस्वीकृत की गई है। 6. दो इकाइयां बंद है तथा बीआईएफआर के अंतर्गत पंजीकृत हैं। कोई योजना संस्वीकृत नहीं हैं।
2.	2010-11	450.74	
3.	2011-12	462.50	
4.	चालू वर्ष (नवम्बर, 2012 तक)	470.67	

(ख): जहां तक बंद कपड़ा मिलों का संबंध है, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 30.11.2012 तक के दौरान मिलों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि देय राशियों की चूक हेतु कोई मामला पंजीकृत नहीं किया गया है और न ही अभियोजन शुरू किए गए हैं।

जहां तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम की देय राशियों का संबंध है, ईएसआईसी द्वारा दिल्ली में पांच सितारा होटलों के विरुद्ध कोई मामला पंजीकृत नहीं किया गया है और न ही अभियोजन शुरू किया गया है। तथापि, बंद कपड़ा मिलों के विरुद्ध पांच मामले पंजीकृत किए गए थे जिनमें से तीन मामले निर्णीत हो चुके हैं।

(ग): प्रतिष्ठानों के विरुद्ध देय राशियों की शीघ्र वसूली हेतु कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 की धारा 8-ख से 8-छ के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसमें चल और अचल संपत्ति की कुर्की, नियोक्ताओं की गिरफ्तारी आदि शामिल है। बंद चूककर्त्ता कपड़ा मिलों के कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की विशेष रिजर्व निधि में से किया जा रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शामिल किए गए कर्मचारी प्रदत्त अथवा संदेय अंशदान पर आधारित लाभों के हकदार हैं।

•••••

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3738

सोमवार, 17 दिसम्बर, 2012/26 अग्रहायण, 1934 (शक)

ई.पी.एफ. जमा हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक

3738. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों में निजी क्षेत्र के मजदूरों की भविष्य निधि (पी.एफ.) राशि जमा करने का प्रावधान किया गया है;
(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्राधिकृत किया गया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत शामिल निजी क्षेत्र के सभी श्रमिकों का भविष्य निधि अंशदान भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया जाता है।

(ख) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 52(1) के उपबंधों के अनुसार निधि से संबंधित सारा धन भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य अनुसूचित बैंक में जमा किया जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ अन्य किसी अनुसूचित बैंक को नामोद्दिष्ट नहीं किया गया है।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3817

सोमवार, 17 दिसम्बर, 2012/26 अग्रहायण, 1934(शक)

ईपीएफ हेतु विशिष्ट पहचान संख्या

3817. श्री सुदर्शन भगत:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा भविष्य निधि (ईपीएफ) विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) के अंतरण की प्रणाली को प्रारंभ करने के लिए क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ईपीएफ खातों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या स्थायी खाता संख्या (पीएएन) या विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) के साथ जोड़ने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के चालू चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। खाते के अंतरण का कार्य कम्प्यूटरीकरण के अगले चरण का भाग होगा। इस प्रयोजनार्थ रणनीति और समय-सीमा के संबंध में उसे अंतिम रूप प्रदान किए जाते समय निर्णय लिया जाएगा।

***

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3862

सोमवार, 17 दिसम्बर, 2012/26 अग्रहायण, 1934 (शक)

भविष्य निधि का निवेश

3862. **श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:**
डॉ मन्दा जगन्नाथ:
श्री रामकिशुन:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) भविष्य निधि की राशि को अवसंरचना बांडों/इक्विटी में निवेश करता है;

(ख) यदि हां, तो ई पी एफ ओ के वर्तमान दिशानिर्देश भविष्य निधि की राशि को केवल उन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति प्रदान करती है जिनसे उपभोक्ताओं को मात्र 8.25 प्रतिशत लाभ प्राप्त हो सकता है;

(ग) निजी क्षेत्रों, ब्लूचिप कम्पनियों आदि में ई पी एफ ओ ने कितनी धन राशि निवेश की है;

(घ) क्या ई पी एफ ओ ने बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिए धन का निवेश करने के संबंध में और स्वायत्तता की मांग भी की थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अवसंरचना संबंधी कंपनियों के बांडों में निवेश करता है, यदि वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपनाए गए निवेश पैटर्न संबंधी मानदंड को पूरा करती हों। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इक्विटी में निवेश नहीं करता है।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि संबंधी धनराशि का भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 2003 के निवेश पैटर्न के अनुसार निवेश किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा निजी क्षेत्रों की कंपनियों के बांडों में निवेश करने की अनुमति देता है।

(ग): दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार, ब्लू चिप विनिर्माण कंपनियों में 4.05 करोड़ रुपये के निवेश सहित निजी क्षेत्र की कंपनियों में निवेश की गई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की संचित कुल राशि 26,896.54 करोड़ रुपये है।

(घ) और (ङ): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) नियमित आधार पर आय को अधिकतम करने के लिए निवेश पैटर्न के मामले पर विचार करता है और ऐसा प्रस्ताव, यदि कोई हो तो सरकार को भेजा जाता है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के 2003 के निवेश पैटर्न में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत निर्धारित की गई सीमा के अंदर आवश्यक अनुमोदन प्रदान करती है।

****